

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 995 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात इस

आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|---|----------------|
| 1. सचिव,
पर्यावरण विभाग,
पंजिम | —अध्यक्ष |
| 2. मुख्य नगर नियोजक
नगर और ग्राम नियोजन
कार्यालय, पंजिम | —सदस्य |
| 3. भार साधक अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो,
पंजिम | —सदस्य |
| 4. निदेशक,
पर्यटन विभाग,
पंजिम | —सदस्य |
| 5. डा. अरविंदा ऊंटावले
राष्ट्रीय सामुदायिक विज्ञान
संस्थान, दोना पौला | —सदस्य |
| 6. प्रो. लीला भौसले
विभागाध्यक्ष
कोल्हापुर विश्वविद्यालय | —सदस्य |
| 7. निदेशक
विज्ञान, प्रौद्योगिकी
और पर्यावरण विभाग
पंजिम | —सदस्य
सचिव |

(II) प्राधिकरण को गोवा राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) गोवा राज्य से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना (सी जैड एम पी) के वर्गीकरण में परिवर्तनों/उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ।
- (ii) (क) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों उपबंधों के अभिकथित व्यतिक्रम के मामलों को जांच करना और यदि आवश्यक हो किसी विनिर्दिष्ट मामले में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना जहां तक ऐसे निदेशों का संबंध है ये उस विनिर्दिष्ट मामले में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों ।
- (ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से

संबंधित हों, के उपबंधों के व्यतिक्रम वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को ऐसे मामलों को टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन करने के लिए निर्दिष्ट करना :

परन्तु यह कि पैरा II के उपपैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामलों पर स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई की जा सकेगी ।

- (iii) आदेश के पैरा II के उप पैरा (ii) (क) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना ।
- (iv) आदेश के पैरा II के उप पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवादकों से संबंधित तथ्यों का सत्यापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।
- (III) प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय विवादकों का निपटान करेगा जो गोवा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किए जाएं ।
- (IV) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं क्षेत्र विरचित करेगा ।
- (V) प्राधिकरण अतिसंवेदनशील हास/अवनत तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और इस प्रकार पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं क्षेत्र विरचित करेगा ।
- (VI) प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।
- (VII) प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपांतरणों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।
- (VIII) प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा जो आंध्र प्रदेश की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित हैं ।
- (IX) प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट क्रम से कम छह महीने में एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।
- (X) प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।
- (XI) प्राधिकरण का मुख्यालय पणजी में होगा ।
- (XII) इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के विनिर्दिष्ट रूप से अंतर्गत न आने वाले किसी मामले का निपटान संबंधित कानूनी प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा ।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव